



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

भाद्र 25, बुधवार, शाके 1942- सितम्बर 16, 2020
Bhadra 25, Wednesday, Saka 1942- September 16, 2020

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, 16 सितम्बर, 2020

संख्या प.2(27)विधि/2/2020.- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 16 सितम्बर, 2020 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020

(2020 का अधिनियम संख्यांक 21)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 16 सितम्बर, 2020 को प्राप्त हुई)

महामारी के विनियमन और रोकथाम से संबंधित विधि और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह 1 मई, 2020 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा, सिवाय धारा 11 के उपबंधों के, जो 22 मई, 2020 को और से प्रवृत्त हुये समझे जायेंगे।

2. परिभाषाएं.- (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "महामारी" से सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा महामारी के रूप में घोषित कोई रोग अभिप्रेत है;

(ख) "सरकार" से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है;

(ग) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियम अभिप्रेत हैं;

(घ) "नियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम अभिप्रेत हैं;

(ङ) "राज्य" से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है।

(2) ऐसे शब्द और अभिव्यक्तियां, जो इसमें प्रयुक्त की गयी हैं और परिभाषित नहीं की गयी हैं, किन्तु राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 8) में परिभाषित की गयी हैं, के वही अर्थ होंगे जो उन्हें उस अधिनियम में समनुदेशित किया गया है।

3. महामारी को अधिसूचित करने की सरकार की शक्ति.- इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी भी रोग को या तो सम्पूर्ण राज्य में या उसके ऐसे भाग या भागों में, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जायें, महामारी के रूप में अधिसूचित कर सकेगी।

4. महामारी के संबंध में विशेष उपाय करने और विनियम विनिर्दिष्ट करने की शक्ति.- (1) जब सरकार का किसी भी समय यह समाधान हो जाये कि राज्य या उसके किसी भाग में किसी महामारी का प्रकोप होने की आशंका है या प्रकोप हुआ है तब सरकार, ऐसे उपाय कर सकेगी जो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे, और जनता द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा अनुपालन किये जाने के लिए, ऐसे अस्थायी विनियम या आदेश विनिर्दिष्ट कर सकेगी ताकि ऐसी महामारी के प्रकोप या उसके फैलाव की रोकथाम की जा सके और जिला कलक्टरों से ऐसी शक्तियाँ और कर्तव्यों का, जैसाकि उक्त विनियमों या आदेशों में विनिर्दिष्ट किया जाये, प्रयोग और पालन करने की अपेक्षा कर सकेगी या उन्हें सशक्त कर सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सरकार निम्नलिखित के लिए उपाय कर सकेगी और विनियम विनिर्दिष्ट कर सकेगी,-

- (क) किसी रूढ़ि या कृत्य को, जिसे सरकार, राज्य में किसी जमाव, समारोह, उपासना या ऐसे अन्य क्रियाकलापों से व्यक्ति से व्यक्ति में महामारी के प्रसार या फैलने के लिए पर्याप्त समझे, प्रतिषिद्ध करना;
- (ख) राज्य में वायु, रेल, सड़क मार्ग या अन्य किन्हीं साधनों से पहुंचने वाले या चिकित्सालय, अस्थायी आवास, घर में क्वारंटीन में या, यथास्थिति, आइसोलेशन में रखे गये व्यक्तियों का या अन्यथा ऐसे किसी रोग के संक्रमण से संदिग्ध व्यक्तियों का विनियम या आदेशों द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निरीक्षण करना;
- (ग) राज्य की सीमाओं को ऐसी कालावधि के लिए, जो आवश्यक समझी जाये, सील करना;
- (घ) लोक और निजी परिवहन के प्रचालन पर निर्बंधन अधिरोपित करना;
- (ङ) जनता द्वारा अनुपालन किये जाने के लिए सामाजिक दूरी के मानक, या अन्य कोई अनुदेश, जो कि इस महामारी के कारण लोक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए आवश्यक समझे जायें, विहित करना;
- (च) सार्वजनिक स्थानों पर और धार्मिक संस्थाओं या उपासना स्थलों में व्यक्तियों के एकत्रित होने को निर्बंधित या प्रतिषिद्ध करना;
- (छ) राज्य में, सरकारी और निजी कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं के कामकाज को विनियमित या निर्बंधित करना;

- (ज) दुकानों और वाणिज्यिक और अन्य कार्यालयों, स्थापनों, कारखानों, कार्यशालाओं और गोदामों के कामकाज पर प्रतिषेध या निर्बंधनों को अधिरोपित करना;
- (झ) आवश्यक सेवाओं या आपातकालीन सेवाओं जैसेकि बैंक, मीडिया, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य आपूर्ति, विद्युत, जल, ईंधन इत्यादि की समयावधि को निर्बंधित करना; और
- (ञ) महामारी के विनियमन और रोकथाम के लिए ऐसे अन्य उपाय करना जो आवश्यक हों और सरकार द्वारा विनिश्चित किये जायें।

5. अपराधों के लिए दण्ड.- कोई व्यक्ति/संस्था/कंपनी जो विनियमों या आदेशों द्वारा आबद्ध है, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये ऐसे किसी विनियम या किये गये आदेश का उल्लंघन या उसकी अवज्ञा करता/करती है या इस अधिनियम के अधीन सशक्त किसी अधिकारी को बाधा पहुंचाता/पहुंचाती है, दोषसिद्धि पर, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा या, दोनों से, दंडनीय होगा/होगी।

6. अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए दण्ड.- जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है वह उसी रीति से दण्डित किया जायेगा मानो वह अपराध उसने स्वयं कारित किया था।

7. कंपनी द्वारा अपराध.- (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा कारित किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध के कारित किये जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का प्रभारी था, और उसके प्रति उत्तरदायी था, साथ ही वह कंपनी भी, उस अपराध के दोषी समझे जायेंगे और अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और तदनुसार दण्डित किये जाने के दायी होंगे:

परन्तु इस उप-धारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति को किसी भी दण्ड के लिए दायी नहीं बनायेगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना कारित किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किये जाने को निवारित करने के लिए पूरी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा कारित किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से कारित किया गया है या उसकी उपेक्षा के फलस्वरूप कारित किया गया माना जा सकता है तो ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और तदनुसार दण्डित किये जाने का दायी होगा।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए,-

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है, और इसमें कोई फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम सम्मिलित है; और

(ख) फर्म के संबंध में "निदेशक" से फर्म में कोई भागीदार अभिप्रेत है।

8. अपराधों का संज्ञेय और जमानतीय होना.- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन समस्त अपराध संज्ञेय और जमानतीय होंगे।

9. प्राधिकृत अधिकारी.- तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक या अधिक व्यक्तियों को, जो इस अधिनियम के अधीन कार्य करने के लिए सक्षम होंगे, प्राधिकृत कर सकेगी।

10. प्रत्यायोजित करने की शक्ति.- राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली कोई शक्ति ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जायें, के अधीन रहते हुए, ऐसे अधिकारी द्वारा भी प्रयोग की जा सकेगी, जिसका उसमें उल्लेख किया जाये।

11. अपराधों का शमन.- (1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराधों का, ऐसे प्राधिकारियों या अधिकारियों द्वारा और ऐसी रकम के लिए, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, या तो अभियोजन संस्थित किये जाने से पूर्व या पश्चात् शमन किया जा सकेगा।

(2) जहां किसी अपराध का शमन उप-धारा (1) के अधीन किया गया है वहां अपराधी को, यदि वह अभिरक्षा में हो, उन्मोचित कर दिया जायेगा और ऐसे अपराध के संबंध में उसके विरुद्ध आगे कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी और किसी आपराधिक न्यायालय में भी कोई कार्यवाही संस्थित नहीं की जायेगी।

12. अधिनियम का किसी भी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना.- इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में।

13. सद्भावपूर्वक की गयी कार्रवाई के लिए संरक्षण.- इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन सद्भावपूर्वक की गयी या किये जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

14. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति.- यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक प्रतीत हों।

15. नियम बनाने की शक्ति.- (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए, या तो भविष्यलक्षी या भूतलक्षी प्रभाव से नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और विनियम, उसके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिवस से अन्यून की कुल कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो या अधिक उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखा जायेगा और यदि उस सत्र की, जिसमें वह इस प्रकार रखा गया है, या ठीक अगले सत्रों की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे किसी नियम या विनियम में कोई उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसा नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसा नियम या विनियम केवल ऐसे उपांतरित रूप में प्रभावी होगा या, यथास्थिति, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा तथापि, ऐसा कोई भी उपांतरण या बातिलकरण उसके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

16. **निरसन और व्यावृत्तियां.-** (1) राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश सं. 1) और राजस्थान महामारी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश सं. 5) इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होने पर भी, उक्त अध्यादेशों के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

विनोद कुमार भारवानी,
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION**

Jaipur, September 16, 2020

No. F. 2(27)Vidhi/2/2020.- In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Rajasthan Mahamari Adhiniyam, 2020 (2020 Ka Adhiniyam Sankhyank 21) :-

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN EPIDEMIC DISEASES ACT, 2020

(Act No. 21 of 2020)

(Received the assent of the Governor on the 16th day of September, 2020)

An

Act

to provide for law relating to regulation and prevention of epidemic disease and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-first Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Epidemic Diseases Act, 2020.

(2) It shall extend to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall be deemed to have come into force on and from 1st May, 2020 except the provisions of section 11 which shall be deemed to have come into force on and from 22nd May, 2020.

2. Definitions.- (1) In this Act unless the context otherwise requires,-

- (a) "epidemic disease" means any disease declared as epidemic disease by notification published in the Official Gazette, by the Government;
- (b) "Government" means the Government of Rajasthan;
- (c) "regulations" means the regulations made under this Act;
- (d) "rules" means the rules made under this Act;
- (e) "State" means the State of Rajasthan.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Rajasthan General Clauses Act, 1955 (Act No. 8 of 1955) have the same meanings as assigned to them in that Act.

3. Power of Government to notify epidemic disease.- The Government may by notification in the Official Gazette notify any disease as epidemic disease, for the purposes of this Act, either throughout the State or in such part or parts thereof as may be specified in the notification.

4. Power to take special measures and specify regulations as to epidemic disease.-

(1) When at any time the Government is satisfied that the State or any part thereof is visited by or threatened with an outbreak of any epidemic disease, the Government may take such measures, as it deems necessary for the purpose, by notification in the Official Gazette, specify such temporary regulations or orders to be observed by the public or by any person or class of persons so as to prevent the outbreak of such epidemic disease or the spread thereof and require or empower District Collectors to exercise such powers and duties as may be specified in the said regulations or orders.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing provisions, the Government may take measures and specify regulations,-

- (a) to prohibit any usage or act which the Government considers sufficient to spread or transmit epidemic diseases from person to person in any gathering, celebration, worship or other such activities within the State;
- (b) to inspect the persons arriving in the State by air, rail, road or any other means or in quarantine or in isolation, as the case may be, in hospital, temporary accommodation, home or otherwise of persons suspected of being infected with any such disease by the officer authorized in the regulation or orders;
- (c) to seal State Borders for such period as may be deemed necessary;
- (d) to impose restrictions on the operation of public and private transport;
- (e) to prescribe social distancing norms or any other instructions for the public to observe that are considered necessary for public health and safety on account of the epidemic;
- (f) to restrict or prohibit congregation of persons in public places and religious institutions or places of worship;
- (g) to regulate or restrict the functioning of offices, Government and private and educational institutions in the State;
- (h) to impose prohibition or restrictions on the functioning of shops and commercial and other offices, establishments, factories, workshops and godowns;
- (i) to restrict duration of services in essential or emergency services such as banks, media, health care, food supply, electricity, water, fuel etc.; and
- (j) such other measures as may be necessary for the regulation and prevention of

epidemic diseases as decided by the Government.

5. Punishment for offences.- Any person/institution/company who is bound by regulations or orders contravenes or disobeys any such regulation or order made under this Act, or obstructs any officer empowered under this Act, shall on conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine which may extend to ten thousand rupees or with both.

6. Punishment for abetment of offences.- Whoever abets an offence under this Act shall be punished in the same manner as if he had himself committed the offence.

7. Offence by a company.- (1) Where an offence under this Act has been committed by a company, every person, who, at the time the offence was committed, was in charge of, and was responsible to, the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he had exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where any offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation.- For the purposes of this section,-

(a) "company" means a body corporate and includes a firm or other association of individuals; and

(b) "director", in relation to a firm, means a partner in the firm.

8. Offences to be cognizable and bailable.- Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974) all offences under this Act shall be cognizable and bailable.

9. Authorized Officer.- Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the State Government may, by notification in the Official Gazette, authorize one or more persons who shall be competent to act under this Act.

10. Power to delegate.- The State Government may by notification in the Official Gazette direct that any power exercisable by it under this Act may also be exercised by such officer as may be mentioned therein, subject to such conditions, if any, as may be specified therein.

11. Compounding of Offences.- (1) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974), the offences punishable under this Act may either before or after the institution of the prosecution, be compounded by such

authorities or officers and for such amount as the State Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf.

(2) Where an offence has been compounded under sub-section (1), the offender, if in custody, shall be discharged and no further proceedings shall be taken against him in respect of such offence and also no proceedings shall be instituted in any Criminal Court.

12. Act not in derogation of any other law.- The provisions of this Act shall be in addition to and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force.

13. Protection of action taken in good faith.- No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any person for anything which is done in good faith or intended to be done by or under this Act.

14. Power to remove difficulties.- If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in Official Gazette, make provisions not inconsistent with the provisions of this Act as may appear to be necessary for removing the difficulty.

15. Power to make rules.- (1) The Government may, by notification in the Official Gazette, make rules either prospectively or retrospectively for the purpose of carrying into effect the provisions of this Act.

(2) Every rule and regulation made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before the House of the State Legislature while it is in session for a total period of not less than fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions and, if before the expiry of the sessions in which it is so laid or of the sessions immediately following the House of the State Legislature makes any modification in the rule or regulation or resolves that the rule or regulation should not be made, the rule or regulation shall, thereafter, have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

16. Repeal and savings.- (1) The Rajasthan Epidemic Diseases Ordinance, 2020 (Ordinance No. 1 of 2020) and the Rajasthan Epidemic Diseases (Amendment) Ordinance, 2020 (Ordinance No. 5 of 2020) are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the said Ordinances shall be deemed to have been done, taken or made under this Act.

विनोद कुमार भारवानी,
Principal Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।